



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०८/१६८/२०२२/एफ.सी. /741

दिनांक: 07.12.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Water/150514/2021

विषय: जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैथा एवं बचावली ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाईप लाईन विछाये जाने में प्रभावित 6.2793 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.408 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 6.6873 हे० वनभूमि अर्थात् कुल 6.6873 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक 1707/11-सी-FP/UP/water/150514/2021 दिनांक 15.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-164/81-2-2022-800(202)/2022 दिनांक 17.07.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रकरण को दिनांक 24.11.2022 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 73.1 (UP) सम्मिलित किया गया था। प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई एवं निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा एक सप्ताह के अन्दर निम्नलिखित सूचना प्रेषित की जाए:-

- 1- Comments of Chief Wild Life Warden need to be submitted.
- 2- CA scheme and related documents (.kml File, land suitability certificate etc.) shall be provided for an area of 13.40 ha in Baghoura Forest Block (as per scheme submitted with the proposal) and shall be uploaded on PARIVESH portal.

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त जानकारी/सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, झांसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)